न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)

पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (RAS)

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या :- 23/2016

दायर दिनांक :- 26.04.2016

निर्णय दिनांक :- 12.04.2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. हिरालाल पिता सत्यनारायण जाति-तेली, निवासी-आकोला 2. माणकचन्द पिता सत्यनारायण जाति-तेली, निवासी-आकोला तहसील-भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)		1. तहसीलदार भूपालसागर

प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति - श्री मोहनलाल गाडरी वकील प्रार्थीगण
- श्री पेशकार सरकार अप्रार्थी

* निर्णय *

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :-

(1) यह है कि ग्राम रायपुरिया कलां तहसील भूपालसागर के साबिक आ॰न॰ 949/1 रकबा 02-00 बीघा भूमि मृतक अमरचन्द पिता रामा जी तेली निवासी आकोला के खातेदारी की राजस्व रेकर्ड में अंकित थी। मृतक की मृत्यु के बाद उक्त आराजियात पर प्रार्थीगण वसीयतगृहिता की हैसियत से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है लेकिन पैमाईश के दौरान सेटलमेन्ट अधिकारियों की गलती से उक्त [illegible] अनुसार पुन: खातेदारी में दर्ज नहीं कर मात्र उक्त रकबे [illegible] 0.12 हेक्टेयर [illegible] राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया एवं सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने [illegible] संवत 2050 [illegible] शुद्धाशुद्धि पत्र के क्रमांक 11 पर भरकर अंकन किया कि गत खाता नम्बर 849 से बनने वाले वर्तमान ख॰न॰ 1107, 1129, 1148, 2229/1112, 2230/1109 मीन व

— लगातार —

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर जिला-चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.04.16 16:06:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

2231/1103 कुल किता 6 कुल रकबा 4.30 हैक्टेयर में से 0.31 हैक्ट० खाता संख्या-143 अमरचन्द पिता रामा तेली खातेदार के नाम दर्ज होगा, लेकिन उक्त खाते में राजस्व कर्मचारियों ने अंकन नहीं किया एवं नोट डाल दिया कि कमीपूर्ति रकबे हेतु शुमाशुदा फर्जाँव, 10 देखें, जिससे उक्त आराजियात का सम्पूर्ण रकबा राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं हुआ।

(2) यह है कि चालू जमाबंदी रोटेशन के अनुसार उक्त अंकन बिलानाम रास्ता सरकार के नाम कर दिया। संवत 2050-51 व 2059-62 में भी उक्त खातेदारी का अंकन किया गया लेकिन उसके बाद चालू जमाबंदी रोटेशन में उक्त अंकन नहीं किया गया।

(3) यह है कि साबिक आ०न० के खातेदार अमरचन्द पिता रामा जी तेली ने अपने जीवनकाल में ही हम प्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 01.06.2004 को जरिये रजिस्टर्ड वसीयतनामा के वसीयत कर दी थी। अतः प्रार्थीगण ने वर्तमान राजस्व रेकर्ड के आ०न० 1107, 1119, 1148, 2229/1112, 2230/1109, 2231/1108 कुल किता 6 कुल रकबा 04.30 हैक्ट० में से 0.31 हैक्ट० भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार भूपालसागर को सम्मन जारी किया गया एवं तहसीलदार भूपालसागर द्वारा जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया गया जिसमें बताया गया कि आवंटी के जितनी भूमि पर कब्जा था उतनी भूमि उसके नाम पर दर्ज हो गयी शेष भूमि वर्तमान में मौके पर रास्ते के रूप में उपयोग आ रही है। वादीगणों का वर्तमान में भी वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा नहीं है तथा उक्त भूमि मौके पर रास्ता के उपयोग में आ रही है। अतः वादीगण के वाद को खारिज फरमाया जावे।

हमने तहसीलदार भूपालसागर के जवाब प्रार्थना-पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। उभय पक्ष बहस, तहसीलदार भू[illegible] प्रार्थना-पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावे[illegible] प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-136 [illegible] अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य नहीं [illegible] खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल तकमील दाखिल दफ्तर हो।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़

A [illegible] 12.4.21
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.04.16 16:06:10 IST
Reason: SelfAttested

—— लगातार ——

Scanned with CamScanner

निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ ([illegible])

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी ... चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.04.16 16:06:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner